

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

आज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलारा रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :95/2021

पीगण-

1. पुखराज पुत्र सुगनाराम दत्तक पुत्र रामाकिशन
जाति-ब्राह्मण, निवासी बोड़वा, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
बनाम

वेवादीगण -

1. रामाकिशन पुत्र श्रीनिवास
जाति-ब्राह्मण, निवासी बोड़वा, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

स्थिति :-

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
वेवता वादीगण भिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व
वेवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित भिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़वा के खेत खसरा नंबर
3,173/1159 में वादी पुखराज पुत्र सुगनाराम दत्तक पुत्र रामाकिशन को प्रतिवादी संख्या
रामाकिशन के के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है।

SRV
28/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)